(19)

निगरानी 1469-II-15

राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

न्यायालय सम्माननीय ~~आयुक्त~~ महोदय, संभाग ~~उज्जैन~~

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

1. देवीसिंह पिता बापूजी जाति आंजना आयु–48 वर्ष धंधा खेती निवासी–ग्राम चकरावदा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन

2. श्यामा बाई पति देवीसिंह जाति आंजना आयु– 43 वर्ष धंधा खेती निवासी–ग्राम चकरावदा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन

.....आवेदक/निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. मांगीलाल पिता मयारामजी जाति आंजना आयु–60 वर्ष धंधा–खेती निवासी–ग्राम चकरावदा

2. दयाराम पिता मायाराम जाति आंजना आयु–38 वर्ष धंधा–खेती निवासी–ग्राम चकरावदा

3. हीरालल पिता भैरूसिंह जाति आंजना आयु–50 वर्ष धंधा–खेती निवासी–ग्राम चकरावदा समस्त निवासीगण ग्राम चकरावदा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन

...... अनावेदकगण

Arvind Upadhyay Adv.
09/06/15

09/06/15

11.6.15

न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ–13/14–15 में पारित आदेश दिनांक 19/05/2015 से व्यथित होकर पुनरीक्षण निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1469–दो/2015 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2017	आवेदकगण एवं अनावेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । उभयपक्ष द्वारा द्वारा बतलाया गया है कि यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 19–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है और तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य करने का कोई औचित्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	